

राजस्थान सरकार
शासन प्रशासन (युप-२) विभाग

क्रमांक एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक

— आदेश —

4 FEB 2013

इस विभाग के आदेश संख्या प. 2(1)साप्र/2/2012 दिनांक 15.1.2013 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किए गए राजकीय आवासों में 'आशिक संशोधन' करते हुए उनके निवास हेतु नियमानुसार किसाये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	आशिक संशोधित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	8 / 2012	श्री छोटे लाल मीण अधिशासी अभियन्ता (पी. एम.यू.) आर.डब्ल्यू.आर.एस. पी. जल संसाधन विभाग जयपुर	एन-14 गांधी नगर जयपुर	303, मौलिल टाउन, मालवीय नगर	30.4.2028
2	28 / 2012	श्री राजपाल सिंह चौहान आर.ए.एस. अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम सहकारिता विभाग जयपुर (नीतिगत निर्णय)	गा/59 ए.वी.एस. गांधी नगर जयपुर	601, मौलिल टाउन, मालवीय नगर	31.1.2016

शर्तों—

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखत निररत समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक नाह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों को नाम से पदशापान स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वित्तरण अधिकारी—कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करायें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 - आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदशापान रहे हैं।
 - आवंटन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवय/पत्नि व उन पर आंत्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- कम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आङ्ग से


 (मनफूल बैराय)
 शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनाधे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्मानीय आयुक्त, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-४) विभाग, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता जल संस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
- रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।

8. शासन उप सचिव क्रार्मिक क-4 / 2 विभाग।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/ जयपुर शहर, जयपुर
10. अधिशासी अभियन्ता, राजनीतिविद/ जन स्वाभावितविद/ जयपुर विविधनिगम लिंग, गांधीनगर/ मालवीयनगर/ जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटीती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही डाकटी द्वारा निर्धारित अविधि में बदला लेने में असफल रहने की विधति में आवेटन आदेश की शर्त सख्ता-6 की पालना को भी अनल में लावें।
12. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- ✓ 14. प्रबन्ध निदेशक, राजकोर्म, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/ मालवीयनगर/ जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त सख्ता-8 की पालना को गुणिश्चित कर कब्जा देवे। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
17. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. अतिरिक्त निजी सचिव शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

→
(मनकूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव